>

Title: Further discussion on the motion for consideration of the Chemical Weapons Convention (Amendment) Bill, 2012 (Discussion not concluded).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Item 16; hon. Minister.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SRIKANT JENA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, this is a Bill which has been passed by Rajya Sabha. Chemical Weapons Convention (CWC) is the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and use of Chemical Weapons and on their Destruction. The U.N. General Assembly approved the Convention on November 30, 1992 and opened the Convention for signature in Paris on January 13, 1993. The agreement is administered by the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), which is an independent organisation based in The Hague, Netherlands. The whole intention of giving this is that India is a signatory and about 188 countries have signed this Convention and India has already ratified this. Six countries namely Angola, Egypt, Somalia, Syria, North Korea and South Sudan have not signed the Convention. India declared and destroyed its stockpile of chemical weapons of nearly 1000 tonnes by 2007; and that was the deadline which was given by the Convention.

A National Authority in the Cabinet Secretariat has been established under Section 6 of the Act which is the national focal point for liaison with the OPCW and other State Parties. At present, National Authority consists of Secretary in the Cabinet Secretariat as the Chairman and DG, DRI, Joint Secretary (NA) and Joint Secretary (Chemicals) as its Directors. National Authority has the power to call for any information, declaration or return regarding toxic chemicals or precursors under Section 12 of the Act.

Sir, as you know, the amendment was required, which is a very minor amendment, and this Bill was sent to the Standing Committee. On the recommendation of the Standing Committee, we have accepted the Standing Committee recommendation. The amendment in Section 9 provides for appointment of specified officers of the Central Government besides the officers of the National Authority to perform the enforcement functions. This amendment seeks to widen the scope and reach of officers who can be appointed as Enforcement Officers as at present National Authority has very limited number of officers who have to perform this function all over India. Corresponding rules will be made to ensure that only qualified officers having requisite technical qualifications, relevant experience in the field, unblemished track record and integrity of Central Government are conferred this power of enforcement. That was the recommendation of the Standing Committee which we have accepted.

The second amendment in Section 16 seeks to ensure that no toxic chemical or precursor listed in Schedule 2 of the Convention is transferred not only between the citizens of non-state party but also between the state parties. This will not only bring Chemical Weapons Convention Act in conformity of the International Treaty but also will ensure no scope for transfer of toxic chemicals between any unauthorized entities.

Then, the amendment to Section 18 is being done so that the facilities manufacturing scheduled chemicals beyond a particular threshold limit are only required to undergo the requirement of registration and consequently filing of mandatory declarations. Normally in our country, there are so many small-scale manufacturers of different chemicals, of Schedule 2 chemicals and Schedule 3 chemicals. There were very minor production maybe half kilogram or less than that but they were supposed to register themselves and they were supposed to be inspected. So, on the basis of the Convention, the threshold limit has been finalised. When the rules will be prepared, the threshold limit will be declared. On the basis of that, the units which are within that threshold limit need not come under the registration and that is why this amendment was required.

The limit has also been declared like in Schedule 2A, the maximum limit can be 1 kilogram, verification threshold is 10 kilogram and accordingly the threshold limit has been identified.

Then the amendment in Section 42 is a consequential amendment to that in Section 16 as it provides penal provision for persons or non-State parties engaging in transfer of scheduled chemicals.

Section 56 is a rule-making provision and the amendment is proposed to provide rule making power to the Central Government to ensure eligibility of Central Government officers for appointment as enforcement officers as in Section 9 and also to provide threshold limit, procedure or form of certificate of registration and terms and conditions for granting such a certificate.

Sir, basically these are the small amendments to the Bill. Since this is an obligation which needs to be done, I hope,

without any further delay we can

amend this and the House will agree with me. If Members have anything to say they can participate.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

> "That the Bill to amend the Chemical Weapons Convention Act, 2000, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

SHRI JASWANT SINGH (DARJEELING): Mr. Deputy Speaker, Sir, the hon. Minister has ably explained that we ought to enact this amendment without further delay, therefore, I must, at the very beginning congratulate the new Leader of the House. I was congratulating you for extracting quorum from where there was no quorum. You extracted the quorum out of a vacuum. Therefore, you and your assiduous Minister for Parliamentary Affairs deserve our congratulations.

I do not want to be so rude as to suggest to the Leader of the House to proceed to his other occupations but do please proceed because we have the hon. Minister for Chemical and Fertilizers to pilot this Bill.

I had begun, Mr. Deputy Speaker, to despair of this Bill ever coming up for consideration. It felt as if it had been orphaned and abandoned because day after day it would get listed and for one reason or another get postponed.

Today, really, I thought that it is not fated because of some evil eye on this Bill. So, I congratulate the Government for finally managing to get this Bill for consideration and passing.

Sir, I must, before I express my support for the provisions, express some confusion as to why the Hon'ble Minister for Chemicals and Fertilizers ought to be dealing with chemical weapons. Chemical weapons are not a subject which harmonises either with fertilizer or with chemicals. It is really a subject that ought to be considered either by the Ministry of External Affairs or if you stretch the point of being weapons, then it is the Ministry of Defence.

I would tell the honourable and able Minister of Chemicals and Fertilizers, who is a colleague of very old standing, whom I respect, that this is not a comment on your abilities, Mr. Minister; this is a comment on really the dysfunctional style of this Government.

The Explanatory Notes and the Objects and Reasons are sufficiently clear. Then, the able Minister has further clarified issues. Therefore, there is very little for me to say except to support the measures that this Bill intends to enact.

I do wish, however, to point out one or two aspects. One is, I wish to illustrate, what chemical weapons can do. I cite to you, Sir, the example of, perhaps, the names that strike some chords of memory – Danang, in Vietnam for four decades, as per the very recent Report: forty years after the end of the Vietnam War, the US have now started cleaning up the area because what was used in Vietnam, Cambodia and also parts of Laos by the United States of America was an herbicide chemical called 'Agent Orange'. That caused so much damage that even now, 40 years later, not a blade of grass grows on that soil. Also this has caused so much damage to succeeding generations; children are born with defects, with cancerous tendencies. The damage that is caused by chemical weapons is long-lasting and really pernicious.

I would also cite the example of what is happening in Syria today. Despite what is happening in Syria, if there is great hesitation on the part of the Western countries to intervene, it is because Syria has already announced openly that if the United States of America or any other Western country were to intervene, they would use the chemical weapons that they have, which takes me to an aspect that I wish to underline. And that is about the totality of weapons of mass destruction, in particular the need for verification of the claims that are made that we have banned the use of chemical weapons but we have also destroyed the stock that we had in the nation. A classic example of the violation of this, of course, is this very recent Report that has been made public. It is a Report prepared by the Lawmakers of the United States of America. They have made it public now, that Pakistani officials have stated: "The Government may be increasing significantly its nuclear

arsenal." I do not know whether Pakistan is a subscriber to the Chemical Weapons Convention or do the subscribers have an obligation to go through verification; internationally verifiable measures that ensure that there is no inadvertent or deliberate storage of chemical weapons.

I will give you another example, and that is, of course, Bhopal. Bhopal is a living example of what damage can be done to land, to environment and to human beings, and for many generations by misuse or mal-use of chemicals.

15.00 hrs

Bhopal is the living example; and I have another example, Sir, which is daily confronted by the country is the state of our rivers. If our rivers are polluted, it is because of the discharge of chemicals into those rivers. With the result, the rivers even like Ganga and Yamuna, today, are not rivers of great reverence that they were; they have become virtually a flowing chemical poison. These are the examples, which would justify why we do need these amendments and why we do need these laws.

I would also like to add here that I not only fully support the measures that this Government is bringing about but that I would also recommend very strongly, if the Government examines the question of international verification of what the Convention and subsequent follow-up legislations require; and if possible for the Hon. Minister to inform us as to what the Government can bring in. For that purpose, as a suggestion, I would say, though he is a very able Minister, that the question of Chemical Weapons is not his subject that the Ministry for Chemicals and Fertilisers aught to be dealing with.

I conclude, Sir, by saying that we support this legislation.

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): उपाध्यक्ष जी, सन् 2000 में कैमिकल वैपन कन्वैंशन एक्ट बना था। उसमें संशोधन के लिए जो विधेयक लाया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं।

15.02 hrs (Shri Francisco Cosme Sardinha *in the Chair*)

मैं अपनी बात रखने से पहले कहना चाहता हूं कि जसवंत सिंह जी ने अपनी चिर-परिचित शैली में बात शुरू की। उन्होंने जिस तरह नेता सदन और संसदीय कार्य मंत्री को बधाई दी कि कोरम लाने के लिए मैम्बर्स को एक्सट्रैक्ट किया, उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। यह बात सही है कि सदन चलाने की जवाबदारी सरकार की है। हमारी जवाबदारी बनती है और हमने जवाबदारी निभाई, लेकिन इसमें मुख्य विपक्षी दल का भी थोड़ा सहयोग होते रहना चाहिए।...(व्यवधान) इस तरफ के मैम्बर्स कोरम पूरा करने की दिशा में लगातार बढ़ रहे थे। माफ कीजिए, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। लेकिन मैं देख रहा था कि क्या मुख्य विपक्षी दल के कुछ सदस्य भी कोरम पूरा करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। दुर्भाग्यवश वह नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूं।

हमने वर्ष 2000 में यहां जो बिल पास किया था, 1993 में जो कैमिकल वैपन कन्वैंशन हुआ था, जिसमें हमने भी सिगनेचर किए हैं, उसके एक ऑब्लीगेशन के तहत हमने अपने देश में कानून बनाया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो भी सिगनेटरी कंट्रीज़ होंगे, उनके पास कैमिकल वैपन्स नहीं होंगे। दूसरा, ऐसे खतरनाक रसायनों का स्टॉक पाइल नहीं होगा जिससे कभी भी, कोई भी इस प्रकार के खतरनाक कैमिकल वैपन्स बना सकते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर सिगनेचर करने के बाद उस ऑब्लीगेशन को निभाते हुए हमने कानून बनाया। वर्ष 2005 में वह कानून लागू हुआ और 2007 तक हमने हमारे पास एक शैडयूल के तहत आने वाले जितने भी खतरनाक कैमिकल्स हैं, उन्हें डिसट्रॉय किया। लगभग एक हजार टन के आसपास रसायन हमने डिसट्रॉय किए। हमने कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय भावना का सम्मान करते हुए यह कदम उठाया। यह दूसरी बात है कि दुनिया में दो बड़े देशों- अमरीका और रशिया, ने अभी तक अपने कैमिकल्स डिसट्रॉय नहीं किए, हालांकि उन्होंने भी सिगनेचर किए हैं। मैं सदन के माध्यम से इन बड़े देशों से अपील भी करना चाहूंगा कि जैसे हमने हस्ताक्षर किए और अंतर्राष्ट्रीय संधि का सम्मान करते हुए अपने खतरनाक कैमिकल्स नष्ट किए, बिल्कुल उसी तरह बड़े देशों को भी इस दिशा में कदम उठाना चाहिए।

आज जो अमैंडमैंट लाया गया है, वह मुख्य तौर पर तीन प्रावधानों को संशोधित करने के लिए है। पहला यह है कि सैंट्रल गवर्नमैंट को ज्यादा पावर, ज्यादा ताकत दी जा रही है। हमने बुनियादी कानून के तहत नैशनल अथॉरिटी की जो स्थापना की थी, उसमें इनफोर्समैंट आफिसर एप्वाइंट करने के लिए एक संशोधन किया जा रहा है, क्योंकि एक बार यह बिल कानून में कन्वर्ट होता है, एक बार कानून लागू होता है। हमारे देश में बड़े पैमाने पर कैमिकल और फर्टिलाइजर फैक्टरी चलाने वाले लोग हैं, कम्पनी चलाने वाले लोग हैं। उन कम्पनियों और फैक्टरियों में कौन से लोग जायेंगे, जिन्हें इन कैमिकल्स की जानकारी नहीं, ज्ञान नहीं, जो विशेषज्ञ नहीं हैं, ऐसे में एक नया इंसपैक्टर राज शुरू हो सकता है। ऐसे में जो छोटी-छोटी कैमिकल फैक्टरीज के मालिक हैं, उनका हरासमैंट हो सकता है। इससे बचने के लिए हमारे देश के जो छोटे उद्यमी हैं, उन्हें राहत देने के लिए, संरक्षण देने के लिए इस कानून में इस प्रकार का संशोधन किया गया है कि जो नैशनल अथॉरिटी होगी, वह अच्छे, ट्रेंड, एक्सपर्ट आफिसर्स एप्वाइंट करेगी, जो इसे इनफोर्स करेगी। जो इनफोर्समैंट आफिसर्स के तौर पर जाने जायेंगे। निश्चित तौर पर यह अमैंडमैंट एक बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है और इसका मैं समर्थन करता हूं।

दूसरा संशोधन जो बड़ा महत्वपूर्ण है, वह सैक्शन 16 का अमैंडमैंट है। वह यह कहता है कि हमारे देश मे अगर कोई भी व्यक्ति कैमिकल प्रोडक्शन में है, तो कैमिकल प्रोडक्शन के बाद वह अपने उत्पाद को कहीं भेजना चाहता है, एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो कभी भी, कहीं भी उन देशों या उन देशों के नागरिकों को नहीं दे सकता, जो इस कन्वैंशन में सिगनेटरी नहीं हैं। इस आशय का भी एक संशोधन यहां पर लाया गया है। निश्चित तौर पर यह संशोधन भी बहुत अच्छा है। सिगनेटरी कंट्रीज के अलावा किसी और देश के नागरिक के साथ कोई ट्रांजेक्शन न हो, कोई कारोबार न हो, इस प्रकार का इसमें आयोजन किया गया है।

तीसरा महत्वपूर्ण संशोधन है कि एक थ्रैशहोल्ड लिमिट तय करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सारे कैमिकल्स डेंजरस होते हैं। ऐसा भी नहीं कि हमारे देश में कैमिकल्स

की आवश्यकता ही नहीं है, दुनिया या समाज में कैमिकल्स की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि कैमिकल्स का कोई उपयोग नहीं है। कैमिकल्स का उपयोग है, अगर उसका एक लिमिट, सही दिशा और सही टेक्नोलॉजी के आधार पर इस्तेमाल किया जाये। एक थ्रैशहोल्ड लिमिट तय करने के लिए एक तीसरा संशोधन पेश किया गया है। बहुत सारी कैमिकल्स फैक्टरीज हो सकती हैं, जो अपने-अपने देशों में, अपनी-अपनी फैक्टरी में एक लिमिट तक अपने यहां कैमिकल्स रख सकती हैं। अलग-अलग शैडयूल की अलग-अलग जो लिमिट है, अभी मंत्री जी ने यहां पर बताया है और मेरे ख्याल से वह कन्वैंशन के तहत निर्धारित हुआ है। लेकिन इस संशोधन विधेयक में इस प्रकार के लिमिट का कोई जिक्र नहीं है। मुझे लगता है कि जब हम रूल्स फ्रेम करेंगे, तब अपने यहां, अपने देश में, अपनी व्यवस्था के हिसाब से शायद उस थ्रैशहोल्ड लिमिट को संशोधित करेंगे या जो कन्वैंशन में निर्धारित किया गया है, उसे स्वीकार करेंगे। यह तीसरा संशोधन है। मैं इन तीनों संशोधनों का स्वागत करता हूं। जिन देशों ने सिगनेचर नहीं किये हैं, निश्चित तौर पर उन देशों के बारे में इस सदन में चिंता व्यक्त करनी चाहिए। उन देशों को भी सिगनेचर करने चाहिए। बाकी जो अंगोला वगैरह छोटे-छोटे देश हैं, लेकिन सीरिया, जो मिडल ईस्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण देश है, पूरे मिडल ईस्ट में एक डेमोक्रेसी है, ऐसे देश को भी सामने आकर, नार्थ कोरिया नहीं करता। कोई बात नहीं, क्योंकि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। उनको भी कायदे से करना चाहिए। लेकिन सीरिया जैसे देशों को भी इस प्रकार के कन्वैंशन में सिगनेचर करने चाहिए, ताकि पूरी दुनिया में हमने जो हथियार रहित समाज की कल्पना की है, उस कल्पना को साकार किया जाये। पूरी दुनिया में कैमिकल वैपन्स का इस्तेमाल न हो, उनका प्रोडक्शन न हो और उसके जरिये कोई नरसंहार न हो, कोई विध्वंस न हो, यह जो यूनाइटेड नैशंस का सपना है और जिस सपने के तहत कन्वैंशन बनाया गया, पास किया गया, उस सपने को साकार करने के लिए हम सबको इसमें शामिल होना चाहिए। उस सपने को साकार करने के लिए भारत सरकार लगातार सन् 2000 से प्रयास कर रही है। इस प्रयास के लिए मैं भारत सरकार को बधाई देता हूं।

माननीय मंत्री जी आज जो संशोधन विधेयक लेकर आये हैं, उस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे रासायनिक आयुध अभिसमय (संशोधन) विधेयक, 2012 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अगर देखा जाये तो यह बिल सदन में बहुत ही जद्दो-जहद के बाद पास हो रहा है।

यह बहुत छोटा सा विधेयक है। आपने देखा होगा कि पूरे विश्व में भारतवर्ष की जो ख्याति रही है, भारतवर्ष ने हमेशा शांति और विकास का पैगाम दिया, जिसका पूरे विश्व में अपना एक अलग महत्व है कि किस प्रकार से मानव की रक्षा हो। किसी भी देश में नरसंहार न हो, इस पर भारतवर्ष ने आगे बढ़-चढ़कर जो पहल की है, वह सराहनीय है, पूरे विश्व में उसकी सराहना हुई है। दूसरी तरफ, जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में बताया है, जो अंतर्राष्ट्रीय करार हुआ है, जो सम्मेलन हुए थे, बहुत से देशों ने हस्ताक्षर किए हैं कि अपने यहां रासायनिक आयुध समाप्त करेंगे, लेकिन कुछ देशों ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इससे ही मंशा प्रतीत होती है कि कौन सा देश शांति और विकास चाहता है और कौन से ऐसे देश हैं जो विध्वंस की ओर जा रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र को यह भी बता दिया कि हमारे यहां जो रासायनिक आयुध भंडार थे, उनको हमने समाप्त कर दिया है। भारतवर्ष पूरे विश्व में तीसरा ऐसा देश बन गया है और उसी तर्ज पर अल्बानिया एवं दक्षिण कोरिया ने भी अपने यहां रासायनिक आयुध समाप्त करने की पहल की है। यह एक बहुत ही सराहनीय एवं खुशी की बात है कि भारतवर्ष को देखकर अन्य देश भी इस पर पहल कर रहे हैं। भारत के पास वर्ष 1997 में जो करीब 1044 टन सल्फर का भंडार था, उसको नष्ट किया गया है, यह बहुत अच्छी बात है। जैसा अभी आदरणीय जसवंत सिंह जी ने कहा है, जो ऐसे रासायनिक हथियार हैं, उनका प्रकृति और मानव पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है और इसका दुष्परिणाम आपने देखा होगा कि जापान में जब हिरोशिमा पर परमाणु बम डाले गए, वहां आज भी पैदावार नाम की कोई चीज नहीं है और वहां पर लोग अपंग पैदा हो रहे हैं। इसका बहुत बड़ा नुकसान पड़ता है प्रकृति और मानव पर। इस बिल में कहा गया है कि सामग्री के उत्पादन व स्थानांतरण पर रोक लगाने से संबंधित यह बिल लाया गया है कि यह सामग्री गलत हाथों में न पड़ने पाए। दूसरी बात यह भी कही गयी है कि इसका दुरूपयोग न हो सके, इसके लिए सजा का प्रावधान भी किया गया है - आजीवन कारावास से लेकर एक लाख रुपये तक जुर्माने की बात आपने कही है। इसके साथ ही आपने यह भी बताया है कि यह मंत्रालय एनफोर्समेंट अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। अभी संजय निरुपम जी ने सही कहा है कि ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति न हो जिससे इंसपेक्टर राज को बढ़ावा मिले और बहुत से केमिकल्स से जो अन्य पदार्थ बनाए जाते हैं, वहां पर लोगों का शोषण न हो। बहुत से प्रोडक्ट मानव के हित में बनते हैं, इस प्रकार के तमाम प्रोडक्ट बनते हैं, वहां पर लगे लोगों का ह्रासमेंट न हो, इस ओर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने पता नहीं रासायनिक हथियारों को नष्ट किया है या नहीं, उसने हस्ताक्षर किए या नहीं किए, लेकिन अगर अन्य देशों ने पहल की है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अन्य देश भी अपने रासायनिक हथियारों को नष्ट करें। युद्ध से संबंधित एटॉमिक आदि हमारे जो अन्य हथियार हैं, उन पर भी हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा, जिनका दुष्परिणाम आपने भोपाल त्रासदी के रूप में देखा होग। अन्य तमाम घटनाएं देश में हुई हैं, तमाम फैक्टरियों के रासायनिक पदार्थों एवं गैसों के लीक होने से मानव पर दुष्परिणाम पड़े हैं, यहां तक कि जो हमारी नदियां हैं, वे प्रदूषित होती हैं। जो पानी बहता है, जमीन के अंदर जाता है, जमीन की उर्वरा शक्ति समाप्त होती है, पानी प्रदूषित होकर जहरीला हो जाता है। इस पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

यह बिल लाकर आपने बहुत अच्छा काम किया है। मेरे ख्याल से दूसरे देश भी इस पर जरूर अमल करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): माननीय सभापति जी, मैं अपनी पार्टी जनता दल (युनाइटेड) की तरफ से इस संशोधन बिल का सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस संशोधन विधेयक के मूल कानून को पहली जुलाई, 2005 को लागू किया गया था, जिसमें हर तरह के रसायन रखने पर रोक लगाई थी।

इस मूल कानून में यह कहा गया है कि रासायनिक पदार्थ रखने वालों का निबंधन में समय सीमा निर्धारण नहीं है। इसके अलावा इस कानून का उल्लंघन करने वालों को एक वर्ष से कम सज़ा तथा एक लाख रुपए का जुर्माना था। इसलिए इस मूल कानून का संशोधन विधेयक, राज्य सभा में 16 जुलाई, 2010 को लाया गया था और अब इसे लोक सभा में पारित करने के लिए लाया गया है। क्योंकि मूल कानून में निबंधन की समय सीमा नहीं थी इसलिए इस संशोधन विधेयक में इस समय सीमा को स्पष्ट किया गया है तथा इस कानून का उल्लंघन करने वालों को आजीवन कारावास की व्यवस्था भी की गई है।

माननीय सभापति जी, इस संशोधन विधेयक पर मेरे कुछ सुझाव हैं, जिस पर मैं चाहूंगा मंत्री जी इस बिल को पारित करने से पहले विचार जरूर करें। मेरी यह मांग है कि इसके उत्पादन, परिवहन, भंडारण और निस्तारण में संलिप्त प्रत्येक व्यक्ति से इस बात का शपथ पत्र लिया जाए कि उसके पास किसी भी तरह के मिश्रण से रासायनिक हथियार बनाया जा सकता है, जो कि जनता के लिए हानिकारक है। जहां तक संभव हो इस उद्योग में शामिल प्रत्येक जिम्मेदारी व्यक्ति की बैंक गारंटी व अन्य ज़मानतों का प्रावधान होना चाहिए, जिससे इसकी हैंडलिंग और सुरक्षित हो सके। क्योंकि संसार के कुछ देशों के द्वारा समय-समय पर इसके प्रयोग करने के

आरोप हैं, जिससे भयानक विभीषिका होती है। इसलिए इसके हैंडलिंग करने के प्रावधानों को और कड़ा किया जाए और इसमें संलिप्त प्रत्येक व्यक्ति का उचित रूप से पुलिस सत्यापन किया जाए और हर तरीके से प्रत्येक कोण से सुरक्षित किया जाए। इसके अलावा कार्गो के प्रत्येक डिब्बे में गोपनीय रूप से जीपीआरएस लगाया जाए, जिससे इसकी चोरी को शत प्रतिशत रोका जा सके। इसी तरह इसकी फैक्टरी में सभी सीसीटीवी कैमरे प्रत्यारोपित किए जाएं और इनकी रिकार्डिंग छः माह के लिए सुरक्षित की जाए। माल के वित्तीय अंकेक्षण की समय सीमा को कम करके मासिक किया जाए, इससे इसकी पिल्फेरेज रोकी जा सकती है।

उपरोक्त प्रावधानों से इसके आतंकवादियों, नक्सलवादियों एवम् असामाजिक तत्वों के हाथ में नहीं जाने का खतरा नहीं रहेगा तथा पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी इसका एक अच्छा मैसेज जाएगा। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डॉ. बलीराम (लालगंज): सभापति महोदय, आपने मुझे मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत रासायनिक आयुध संशोधन विधेयक पर बोलने का मौका दिया, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। यह जो रासायनिक आयुध संशोधन विधेयक लाया गया है, यह काफी सार्थक है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो रासायनिक पदार्थों से मानव जीवन और प्रकृति पर बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं और ये जमीन के अंदर भी काफी प्रभाव छोड़ते हैं, जिससे हमारी कृषि पर भी असर पड़ता है।

अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे कई देशों के साथ इस बारे में समझौते हुए हैं कि सभी देश अपने यहां से ऐसे रासायनिक हथियारों का उत्पादन नहीं करेंगे। अगर किसी के यहां इस तरह के हथियार हैं तो उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। इसके तहत भारत में 1,000 टन इस तरह से रासायनिक पदार्थों को जो हथियार बनाने के काम आते हैं, नष्ट किया गया है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है, जैसे हमारा एक पड़ोसी मुल्क कभी-कभी धमकी देता है कि हम रासायनिक हथियार का प्रयोग कर सकते हैं।और भी कई देश हैं जिससे हमारे देश में भी ऐसी स्थिति बनती है। जैसा कि माननीय जसवंत सिंह जी ने कहा कि आज इस बात का पता लगाने की भी जरूरत है कि किन-किन देशों के पास जिन्होंने समझौता किया है, कैमिकल्स वैपन्स हैं या जिन लोगों ने समझौता नहीं किया है उनके पास हैं या नहीं हैं। आज यह जरूरी है क्योंकि इससे मानवता और प्रकृति दोनों के ऊपर बुरा असर पड़ता है। भोपाल की त्रासदी हो या जहां-जहां एटोमिक वैपन्स का उपयोग किया गया है वहां-वहां बहुत तादाद में जनमानस की क्षति हुई है, प्राकृतिक वातावरण बिगड़ा है। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे यहां जो प्रतिबंध लगा है इस तरह का प्रतिबंध हर देश पर लगना चाहिए और इसकी जांच भी करनी चाहिए ताकि पूरा विश्व शांति के साथ जी सके।

SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): Sir, I thank you for allowing me to participate in the discussion on this important subject concerning the chemical weapons.

At the outset, I rise to support the Bill. I would like to appreciate the hon. Minister for bringing this important Bill.

The Bill seeks to amend the Chemical Weapons Convention Act, 2000 which was enacted to give effect to the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction. India had signed the Convention on 14th January, 1993. This amendment Bill accepts the recommendations of the Standing Committee.

The Bill establishes a National Authority to implement the provisions of the Convention. The Central Government has the power to appoint any officers of the National Authority as Enforcement Officers. The Bill broadens the scope by allowing the Central Government to appoint any of its officers as Enforcement Officers.

This Bill does not allow any person to transfer or receive specified toxic chemicals from a person who is not a citizen or a State party. The Bill amends the provision by prohibiting transfer from a State which is not a party to the Convention.

The Bill provides for registration of persons engaged in the production, processing, transfer, import, export or use of any toxic chemical or engaged in the production of discrete organic chemical. It also provides for specifying threshold limit for registration of chemicals.

The Chemicals Weapons Convention Act, 2000 was enacted primarily with the objective of discharging the obligations of the country under the Chemical Weapons Convention, a universal non-discriminatory, multilateral disarmament treaty, which bans the development, production, acquisition, transfer, use and stockpile of all chemical weapons. The amendment Bill includes a proposal for amendment in provisions of five sections – Sections 9(1), 16, 18, 42 and 56 - of the Act pertaining to appointment of Central Government officers as Enforcement Officer, registration of persons engaged in production etc. of Schedules 1 to 3 chemicals in terms of the CWC Act etc.

Under Section 9(1) of the Chemical Weapons Convention Act, 2000, officers of National Authority, Chemical Weapons Convention only can be appointed as Enforcement Officers to facilitate implementation of CWC Act. Due to limited number of officers of National Authority to work as Enforcement Officers and requirement of their presence in different parts of the country, where chemical industry is located, the Government has proposed to amend this sub-section to enable it to appoint any of the Central Government officers to work as Enforcement Officer under this Act.

The eligibility criteria so set should lay due emphasis on requisite technical qualifications, relevant experience in the field, unblemished track record and integrity of the Central Government officer who has to be appointed as Enforcement Officer. It would be appropriate if the selected officers under this section, are given suitable training before their appointment as Enforcement Officers.

The Government should also ensure that the rules made under these provisions for effective implementation of the CWC Act are in conformity with the international treaty. The threat perception, both internal and external, being faced by our country need to be given due consideration before the Act is amended.

Therefore, the Government should give a serious thought to incorporate in the proposed Bill suitable provisions for safety and security of the country and its people in the event of a chemical warfare. I support the Bill.

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity to participate in the discussion on the Bill, the Chemical Weapons Convention (Amendment) Bill, 2012. At the outset, I welcome the Bill as it is a necessity. After signing the Chemicals Weapons Convention in 1993 and 1996, India became the 62nd country to ratify the Convention. Following that, between 2003 and 2009, India has destroyed all the chemical weapons. Thus, we have become the third nation to completely destroy all the chemical weapons. Albania and Korea are the other two nations in this category.

At this juncture, I would like to share with the hon. Members that as on date, 26,296 metric tonnes of declared chemical agents and 2.85 million declared containers have been destroyed the world over. As we all know, still, US and Russia have not fully destroyed their chemical weapons and have been given time till 2012 to complete this task. Thus, Russia has eliminated 62 per cent of its chemical weapons, the largest in the world, and the US has eliminated 90 per cent of its arsenal. Only our country is willfully adhering to the commitment given to the world body.

Sir, passing of this Bill is not enough. It is not an end. We have to bear in mind that India is a victim of terror attacks. As advocated by our hon. Prime Minister at the Nuclear Security Summit held in Washington in the year 2011, the nation and the international community have to be very cautious and take note of the dangers posed by the nuclear and chemical weapons falling into the hands of non-State actors, especially in the hands of terrorists posing danger to India and others.

Recently, our hon. Defence Minister hinted that militants and terrorists are being funded by the outfits based abroad. They should be prevented from getting such type of dangerous weapons from any corner. We must be very cautious. In conclusion, I welcome all the amendments and support the Bill in toto.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, रासायनिक आयुध अभिसमय विधेयक माननीय मंत्री जी लाए हैं। मंत्री जी ने दावा किया है कि वर्ष 1993 में पेरिस में सम्मेलन हुआ कि रासायनिक हथियारों को खत्म किया जाए और इसके लिए उसका उत्पादन, उसका संचरन आदि में कठोरता लाने के लिए कानून बनाया। वर्ष 2009 में भारत सरकार ने यूएनओ में दावा किया कि भारत ने रासायनिक हथियार भंडार खत्म कर दिए हैं। जब रासायनिक हथियार भंडार खत्म किए, तो चाहे कठोर कानून बनाएं या हल्का कानून बनाएं, क्या फर्क पड़ता है। जब हमारा भंडार ही खत्म हो गए, तो कानून बनाने से क्या फायदा। यह रस्म अदायगी की जा रही है, चूंकि दुनिया के देश कह रहे हैं कि रासायनिक हथियार को खत्म किया जाए और जब भारत सरकार ने दुनिया के देशों के साथ दावा किया कि हमारे रासायनिक भंडार खत्म हो गए हैं और फैक्टरी भी खत्म हो गई, तो कानून बनाने का कोई मतलब नहीं है।

मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि हाल ही में पाकिस्तान में तालिबानी लोगों ने एटमी हथियारों पर कब्जा करने के लिए हमला किया । इसीलिए अमेरिका के विदेश मंत्री ने चिंता व्यक्त की कि आज दुनिया में सब जगह आतंकवादी लोग कब्जा कर लेंगे और दुनिया में अभी एक रासायनिक हथियार है और एक जैव हथियार है, दुनिया को नष्ट करने वाला केवल एटमिक वैपन ही नहीं है,...(व्यवधान) ठीक है, बाद में कंटीन्यू करेंगे।